9/26/2019 @gov.in

From: Ashwani Dubey < dubeyashwani786@gmail.com>

Date: 22 September 2019 at 4:59:12 PM IST

To: arvind@trai.gov.in

आदरणीय आपने जो सुझाव मांगे है केबल ऑपरेटर से मेरा सुझाव

- 1 किसी भी चैनल की कीमत 5 रूपए से ज्यादा न हो वो चाहे एच डी हो या एस दी
- 2 N C F का पूरा पैसा केबल ऑपरेटर को मिलना चाहिए क्योंकि M.S.O को सभी चैनल वाले केरिज फीस देते हैं उसमें केबल ऑपरेटर की कोई हिस्सेदारी नहीं होती
- 3 आपके बनाये इस कानून में काफी कमिया है इस कानून में केबल ऑपरेटर का ख्याल ही नहीं रखा गया
- 4 इस कानून में Mso और Broudcoster को ही फायदा पंहुचा है न की ग्राहक और केबल ऑपरेटर
- 5 इस नए कानून की वजह से सभी ग्राहकों का बिल दुगना हो गया जिस घर मे दो कनैक्शन थे वह एक टीवी से काम चला रहे है
- 6 श्रीमान जी जो कानून पुराना था वही ठीक था उस कानून मे 200 रूपए मई सारे चैनल मिलते थे